

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1, आ.प्र.एवं सहा/ओलावृष्टि/2020/9383-424 जयपुर, दिनांक 6.2020 2-7-2020

अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त रबी फसल 2019 (सम्बत् 2076) में ओलावृष्टि से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 15 जिलों के ग्रामों को जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, उनको अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 जुलाई, 2020 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अलवर	135
2.	भरतपुर	296
3.	बाड़मेर	101
4.	बीकानेर	2
5.	बून्दी	1
6.	दौसा	65
7.	श्रीगंगानगर	31
8.	हनुमानगढ़	23
9.	जयपुर	73
10.	जैसलमेर	34
11.	जोधपुर	8
12.	करौली	9
13.	नागौर	66
14.	सीकर	12
15.	सवाईमाधोपुर	5
योग:-		861

राज्यपाल की आज्ञा से,

सिद्धार्थ 2/7/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति० प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
14. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
15. संम्भागीय आयुक्त, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, राज.।
16. जिला कलेक्टर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, बून्दी, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, नागौर, सीकर एवं सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
17. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लॉट नम्बर 13 ऐयरपोर्ट प्लाजा दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर।
18. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
19. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
20. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
21. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
22. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


संयुक्त शासन सचिव